

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/65/2017

दिनांक: 31 जुलाई, 2017

प्रेस नोट

19 अफ्रीकी देशों के 33 युवा सांसदों के प्रतिनिधि-मंडल का भारत निर्वाचन आयोग का दौरा

उन्नीस अफ्रीकी देशों नामतः बुरुन्डी/गिनी/घाना/आइवरी कोस्ट/लाइबेरिया/साओ टोम/प्रिंसीपे/मैडागाँस्कर/मलावी/मॉरीशस/मोरक्को/मोजाम्बिक/नाइजर/सूडान/सेशल्स/सोमालिया/तन्जानिया/ट्यूनीशिया/जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे के युवा संसद सदस्यों के 33-सदस्यीय प्रतिनिधि-मंडल के आज भारत निर्वाचन आयोग का दौरा किया/ यह प्रतिनिधि-मंडल विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की विकास सहयोग परियोजनाओं के अंतर्गत 30 जुलाई से 05 अगस्त 2017 तक भारत का दौरा कर रहा है। प्रतिनिधि-मंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री ए.के.जोति तथा निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी.रावत से मुलाकत की।

अपने सम्बोधन में, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री ए.के.जोति ने भारत में निर्वाचन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दिया और दौरे पर आये प्रतिनिधि-मंडल को निर्वाचनों का प्रबंध करने में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रचलन में लाए गए नवोन्मेषों एव पहल, जिनमें 1950 के दशक में हाथ से मतपत्र डाले जाने से लेकर पिछले तीस से अधिक वर्षों से भारत में प्रयुक्त की जा रही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल(वीवीपीएटी) का प्रचलन शुरू करने में हमारी मतदान प्रणाली का क्रामिक विकास सम्मिलित है, के बारे में बताया। भारत निर्वाचन आयोग के सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम पर, उन्होंने उल्लेख किया कि भारत निर्वाचन आयोग का विदेश स्थित निर्वाचन प्रबंधन निकायों के साथ संपर्क में विस्तार हो रहा है और भारत निर्वाचन आयोग पारस्परिक लाभ के लिए अन्य देशों के साथ सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुभव एवं नवोन्मेषों को साझा कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 20 से भी अधिक देशों और चार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सबसे पहला देश, जिसके साथ भारत ने सितम्बर 2004 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, वह एक अफ्रीकी देश-आइवरी कोस्ट था। उसके पश्चात्, भारत निर्वाचन आयोग ने अफ्रीका के चार अन्य देशों, नामतः दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, लीबिया, तथा मॉरीशस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। गिनी, नामीबिया और केन्या के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने प्रतिनिधियों को, मतदाताओं के पंजीकरण को इष्टतम रूप दिए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के 'सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता(स्वीप) कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई पहल जैसे "कोई मतदाता न छूटे" के बारे में बताया।

निर्वाचन आयुक्त, श्री ओ.पी.रावत ने भी प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की सहभागिता किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इस संबंध में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि समग्र रूप में लोगों की शिकायतों के

निवारण के लिए एक सुदृढ़, कारगर एवं उद्देश्यपरक प्रणाली भी आवश्यक है ताकि अरब स्प्रिंग जैसा आन्दोलन दुबारा न घटित हों।



माननीय आयोग प्रतिनिधि मंडल को सम्बोधित करते हुए



ब्रीफिंग के दौरान 19 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि-मंडल

विश्व में सबसे बड़े निर्वाचन कार्य का प्रबंध करने में भारत निर्वाचन आयोग की संरचना, भूमिका एवं कार्य के बारे में एक पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण तैयार किया गया था। इसके पश्चात् एक प्रश्नोत्तरी सत्र रखा गया जिसमें महिला-पुरुष की समानता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त/निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, भारतीय डायस्पोरा द्वारा मतदान आदि के संबंध में प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

(सुमन कुमार दास)
अवर सचिव (मीडिया)